अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

350/16/225 कैलाश चन्द्र बनाम श्रीमती कैली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2016/00350 रास्पो. 118, 12 ले. 14 आ. देवीसिंह 9 ले.॥ श्री अजीतसिंह कैलाश चन्द बनाम श्रीमती कैली वगैरह	

25.1.21

पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से 11 उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से 11 एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 09से 11 को कई बार रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अपील पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी ने एक वाद वास्ते नक्शा दुरूस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया तथा साथ ही वाद के कथनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 26.07.2016 नियत थी उक्त पेशी से पूर्व ही कैम्प अधिकारी अध्यक्ष लोक अदालत सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने उक्त पत्रावली को दिनांक 06.07.2016 पेशी में रखकर कैम्प न्याय आपके द्वारा भूडोल अजमेर में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पालना में खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हक व अधिकार बाबत् अंकन कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था। वाद का निस्तारण नहीं हो तब तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व बेचान नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को बिना सुने बिना जानकारी के खारिज कर भारी विधिक भूल की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.2016 को अपास्त कर मूल दावे के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्टस को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेशी दिनांक 26.07.2016 में नियत था। प्रार्थीगण को बिना लोक अदालत को नोटिस दिये बिना ही दिनांक 06.07.2016 को लोक अदालत में उक्त प्रार्थना पत्र को अदम पालना में खारिज किया गया, जिसे विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 183/2013 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 को निरस्त जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर